

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि०न० -85/2019

अनवान : -



1. महावीरप्रसाद पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. सन्तोष पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. रणसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. पोकर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
5. सुरेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
6. कलावती पत्नी स्व० निहालसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
7. कुलदीप पुत्र स्व० निहालसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :-जयकिशन गोदारा वादी
श्री नरेन्द्र शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 27/02/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 जेजीडब्लु के खाता सं 269/254 के मु० न० 7 के किला न० 1, 2, 3/1, 9/2, 10/2 मु० न० 8 के किला न० 3 ता 8, 12/2, 13, 14, 15/1, 18/2, 19 कुल 2.959 है० नहरी तथा इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं 100/88 के मु० न० 36 के किला न० 6, 7, 8/2, 13/2, 14 ता 17, 18/2, 23/2, 24 व 25 मु० न० 41 के किला न० 3/2, 4 ता 7, 8/2 कुल 3.792 है० नहरी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादी के दादा रावताराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। रावताराम के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है अतः वाद भूमि में

वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 तथा प्रतिवादी सं 6 व 7 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल के नाम विरासतन दर्ज हो गई। वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी तथा प्रतिवादीगण सं 1 ता 7 के हकों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादी तथा प्रतिवादीगण को अपने हकों की घोषणा कराने का कानूनी अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं 0 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी महावीरप्रसाद पुत्र सोहनलाल निवासी निनाण के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 12 एएमएस खाता न0 100/88 संवत् 2072-75 प्रदर्श 1 तथा खाता सं 269/254 प्रदर्श 2 चक 12 एएमएस संवत् 2036-38 प्रदर्श 3 जमाबंदी चक 12 अमरसिंह संवत् 2029-38 प्रदर्श 4 जमाबंदी चक 12 अमरसिंह भू प्रबंधक विभाग संवत् 2028-38 खाता सं 31 प्रदर्श 5 जमाबंदी चक 8 जोगीवाला भू प्रबंधक विभाग संवत् 2028-2038 खाता सं 72 प्रदर्श 6 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत निनाण प्रदर्श 7 मृत्यु प्रमाण पत्र प्रति प्रदर्श 8 ए आधार कार्ड चित्रप्रति प्रदर्श 9 ए प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 8 जेजीडब्लु के खाता सं 269/254 के मु0 न0 7 के किला न0 1, 2, 3/1, 9/2, 10/2 मु0 न0 8 के किला न0 3 ता 8, 12/2, 13, 14, 15/1, 18/2, 19 कुल 2.959 है0 नहरी तथा इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं 100/88 के मु0 न0 36 के किला न0 6, 7, 8/2, 13/2, 14 ता 17, 18/2, 23/2, 24 व 25 मु0 न0 41 के किला न0 3/2, 4 ता 7, 8/2 कुल 3.792 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 में सोहनलाल के वारिसान में एक पुत्री व पाँच पुत्र जिनमें निहालसिंह पुत्र सोहनलाल के फौत होने पर कलावती पत्नी स्व0 निहालसिंह तथा कुलदीप पुत्र स्व0 निहालसिंह जो स्व0 निहालसिंह पुत्र सोहनलाल के जायज वारिसान के रूप में मौजूद है। इनके अलावा औ कोई वारिस नहीं होना अकिंत है। है। अतः वाद भूमि में वादी प्रतिवादी सं 1 ता 5 तथा व 7 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के हकदार है। परन्तु प्रतिवादी सं 2 संतोष पुत्र सोहनलाल ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 3 ता 7 के पक्ष में तर्क क

दिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 जेजीडब्लु के खाता सं 269/254 के मु0 न0 7 के किला न0 1, 2, 3/1, 9/2, 10/2 मु0 न0 8 के किला न0 3 ता 8, 12/2, 13, 14, 15/1, 18/2, 19 कुल 2.959 है0 नहरी तथा इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं 100/88 के मु0 न0 36 के किला न0 6, 7, 8/2, 13/2, 14 ता 17, 18/2, 23/2, 24 व 25 मु0 न0 41 के किला न0 3/2, 4 ता 7, 8/2 कुल 3.792 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। में वादी महावीरप्रसाद प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल प्रतिवादी सं 3 रणसिंह प्रतिवादी सं 4 पोकर प्रतिवादी सं 5 सुरेन्द्र संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 6 कलावती व प्रतिवादी सं 7 कुलदीप संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं 0 2 संतोष पुत्री सोहनलाल ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 व 3 ता 7 के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 -85/2019

अनवान : -

1. महावीरप्रसाद पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. सन्तोष पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. रणसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. पोकर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
5. सुरेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
6. कलावती पत्नी स्व0 निहालसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
7. कुलदीप पुत्र स्व0 निहालसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकिल वादी श्री जयकिशन गोदारा व वकिल प्रतिवादी नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 जेजीडब्लु के खाता सं 269/254 के मु0 न0 7 के किला न0 1, 2, 3/1, 9/2, 10/2 मु0 न0 8 के किला न0 3 ता 8, 12/2, 13, 14, 15/1, 18/2, 19 कुल 2.959 है0 नहरी तथा इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं 100/88 के मु0 न0 36 के किला न0 6, 7, 8/2, 13/2, 14 ता 17, 18/2, 23/2, 24 व 25 मु0 न0 41 के किला न0 3/2, 4 ता 7, 8/2 कुल 3.792 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। में वादी महावीरप्रसाद प्रतिवादी सं 1 सोहनलाल प्रतिवादी सं 3 रणसिंह प्रतिवादी सं 4 पोकर प्रतिवादी सं 5 सुरेन्द्र संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 6 कलावती व प्रतिवादी सं 7 कुलदीप संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 संतोष पुत्री सोहनलाल ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 व 3 ता 7 के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पक्षों की आज दिनांक 27/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

